वर्ष 2025–26 के दौरान अनुसूचित जाति (SC) योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश / निर्देश

1. विभागीय पोर्टल पर दिनांक **29.12.2025 से 15.01.2025** तक (15 दिनों की अवधि देते हुए) अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के उन किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो **मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल** पर पंजीकृत हों तथा जिनके पास कृषि भूमि का स्वामित्व हो (PPP ID के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि स्वामित्व भी मान्य होगा), ताकि वे **45 HP एवं उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टरों की खरीद पर ₹3.00 लाख प्रति इकाई** की सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकें।
2. योजना के संबंध में सभी जिलों में **DDAs/AAEs** द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
3. अनुसूचित जाति का वह किसान, जिसके पास कृषि भूमि का स्वामित्व है (PPP ID के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि स्वामित्व भी मान्य), जो MFMB पोर्टल पर पंजीकृत है तथा जिसने पिछले **5 वर्षों** के दौरान ट्रैक्टर पर किसी भी योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है, इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होगा।
4. योजना के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जाति किसानों को ध्यान में रखते हुए, **जिला-वार लक्ष्य** MFMB डेटा (अर्थात् जिले-वार SC किसानों का पंजीकरण) एवं सब्सिडी लाभ हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।
5. यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक होती है, तो लाभार्थियों का चयन संबंधित **उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (DLEC)** द्वारा **लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स)** के माध्यम से किया जाएगा।
6. **जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (DLEC)** की स्वीकृति के पश्चात चयनित किसानों को दस्तावेज़ सत्यापन हेतु संबंधित **AAE कार्यालय** में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। सफल सत्यापन के बाद पात्र किसान को **ऑनलाइन परमिट** जारी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उसे **15 दिनों** के भीतर ट्रैक्टर की खरीद पूरी करनी होगी। इसके पश्चात प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को अवसर दिया जाएगा।
7. वैध **टेस्ट रिपोर्ट** रखने वाले निर्माताओं को स्वतः सूचीबद्ध/स्वीकृत किया जाएगा तथा उनकी सूची किसानों की जानकारी हेतु विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। चूंकि ट्रैक्टर का पंजीकरण अनिवार्य है और यह हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा टेस्ट रिपोर्ट एवं **CMVR रिपोर्ट** की शर्तें पूरी होने पर किया जाता है, इसलिए किसानों को मोलभाव के पश्चात अपनी पसंद के किसी भी ब्रांड/निर्माता से ट्रैक्टर खरीदने की अनुमति होगी। निर्माताओं को अपने डीलरों की मैपिंग एवं स्टॉक आवंटन हेतु विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
8. ट्रैक्टर की खरीद के बाद संबंधित डीलर/निर्माता किसान के मोबाइल नंबर पर प्राप्त **OTP प्रमाणीकरण** के माध्यम से पोर्टल पर बिल, बीमा, **RTO कार्यालय पंजीकरण शुल्क की रसीद**, तथा लोकेशन-आधारित फोटो (जिसमें किसान, ट्रैक्टर एवं डीलर/अधिकृत प्रतिनिधि शामिल हों) अपलोड करेगा।
9. संबंधित निर्माता/डीलर, संबंधित **DDA** एवं **RTO प्राधिकरण** के सहयोग से यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रैक्टर को अगले **5 वर्षों** तक स्थानांतरित/बेचा न जा सके।
10. डीलर द्वारा प्रस्तुत विवरण का सत्यापन संबंधित निर्माता द्वारा अपने पोर्टल लॉग-इन के माध्यम से किया जाएगा।
11. निर्माता द्वारा सत्यापन के पश्चात, **DLEC द्वारा गठित समिति** ट्रैक्टर का **भौतिक सत्यापन** करेगी।
12. सफल भौतिक सत्यापन एवं DLEC की स्वीकृति के पश्चात सब्सिडी की राशि सीधे संबंधित किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो **मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल** पर पंजीकृत हो।

Guidelines/Instructions for implementation of SC Scheme during the year 2025-26

1. Online applications are invited on department portal from 29.12.2025 to 15.01.2025 (giving 15 days' time) from the farmers of SC category registered on MFMB Portal having Agriculture land ownership (Ownership in the name of Family member in PPP id are also admissible) in availing benefit of subsidy @ Rs. 3 Lakh per unit on purchase of tractors 45 HP and above.

2. Wide publicity regarding the scheme should be made by all the DDAs/AAEs in their districts.

3. SC farmer having ownership of Agriculture land (Ownership in the name of Family member in PPP id are also admissible), registered on MFMB portal and who have not taken benefit of subsidy during last 5 years on tractor are eligible to apply under the scheme.

4. Keeping in view the eligibility of SC farmer under the scheme, the district wise targets will be decided based on the MFMB data (i.e., districts wise registration of SC farmers) and number of applications received for availing the benefit.

5. The selection of beneficiaries will be made through draw of lots by district level executive committee under the Chairmanship of Deputy Commissioner, if applications received are more than the allotted targets.

6. After approval of DLEC the selected farmers are required to submit documents in the office of AAE for verification. After successful verification online permit will be issued to eligible farmer to complete the purchase within 15 days, thereafter opportunity will be given to the farmer in waiting list.

7. Further, the manufacturers having valid test report will be empaneled/approved automatically and list of the same will be displayed on the department portal for information of the farmers. As registration of tractors is mandatory and registration is made by transport department Haryana based on fulfilling conditions of test report and CMVR report therefore farmers may be allowed to purchase tractors from any of the brand/manufacturer as per their choice after negotiation. Manufacturer are required to make registration on department portal for mapping of their dealers and allocation of stock.

8. After purchase the concerned dealer/manufacturer will upload the bills, insurance, RTO office registration charges receipt along with location-based photo (having Farmer, Tractor and Dealer/Authorized Representative) on the portal through OTP authentication received on farmer mobile number.

9. The manufacturer/dealer with the help of concerned DDA and RTO authority will ensure that tractor could not be transferred/sold during the next 5 years.

10. The details submitted by dealer will be verified by the concerned manufacturer through their login on portal.

11. After verification by the manufacturer the physical verification of the tractor will be conducted by committee constituted by DLEC.

12. After successful physical verification and approval of DLEC subsidy will be deposited in concerned farmer bank account directly registered on Meri Fasal Mera Byora Portal.